भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *269

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

.....

तमीराबरानी नदी का पुनरूद्धार

***269. श्री एस. ज्ञानतिरावियम:**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमीराबरानी नदी को स्वच्छ करने एवं उसका पुनरूद्धार करने हेतु कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) औद्योगिक जल-मल तथा बहिस्रोव को तमीराबरानी नदी में छोडने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा कदम उठाए गये हैं;

(ग) इसके लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेंद्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

लोक सभा में श्री एस. ज्ञानतिराविय‍म, द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 269, जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क) से (ग) नदियों और अन्य जल निकायों के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सीवेज के संग्रहण, उसे लाने ले जाने और परिशोधन हेतु उपयुक्त सुविधाएं स्थापित करना राज्य सरकारों/संबंधित स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय, एनआरसीपी के अंतर्गत नदियों के चिह्नित प्रदूषित खंडों में प्रदूषण समाप्त करने और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच लागत बांटने के आधार पर राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता करता है। तमिलनाडु में तमीराबरानी नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) में शामिल किया गया है। यह नदी अशोधित सीवेज बहिस्रांव के कारण प्रदूषित होती है। इसके लिए, तमिलनाडु में तिरूनेलवेली शहर में 24.20 एमएलडी क्षमता का सीवेज परिशोधन संयंत्र सहित प्रदूषण नियंत्रण कार्य, 5492.20 लाख रूपए की लागत पर संस्वीकृत किया गया था।

सभी प्रदूषित नदी खंडों को कम से कम नहाने योग्य बनाने के लिए ओ ए सं. 673/2018 में माननीय एनजीटी के दिनांक 20.09.2018, 19.12.2018 और 08.04.2018 के आदेशों के अनुपालन में तमिलनाडु राज्य द्वारा गठित नदी पुनरूद्धार समिति ने तमीराबरानी नदी के लिए कार्य-योजना तैयार की है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपशिष्ट बहिस्रांव मानदंडों के संबंध में नियमित रूप से उद्योगों की मॉनीटरिंग करते हैं और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम) कानून 1974 के प्रावधानों के तहत अनुपालन न करने के लिए कार्रवाई करते है। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) के अनुसार, तमीराबरानी नदी 128 कि.मी लंबी है और तिरूनेवेली और थूथूकुडी नामक दो जिलों से होकर बहती है। तिरूनेवेली जिले में एक औद्योगिक इकाई नामत: मैसर्स मदुरा कोट्स प्राइवेट लिमिटेड अपने शोधित अपशिष्ट का अपने परिसर में हरियाली के विकास के लिए उपयोग कर रही है औ 04.02.2019 से तमीराबरानी नदी में डिस्चार्ज नहीं कर रही है। थूथूकुडी जिले में, तमीराबरानी नदी में औद्योगिक अपशिष्ट का कोई डिस्चार्ज नहीं है।

*****